मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

59 ''सी'' विंग, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्रमांक/9004/NR-4/25/03/10 भोपाल, दिनांक 01/~~08~~09/10

प्रति,

कलेक्टर/ जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
जिलाः–समस्त(म.प्र.)

विषयः– महात्मा गांधी रोजगार गारंटी परिषद के प्रशासनिक व्यय में टेण्डर/कान्ट्रेक्ट बेबसाइट पर डालने संबंधी।

संदर्भः– भारत शासन सेन्ट्रल विजिलेंस कमीशन के पत्र क्रमांक 005/VGL/4 दिनांक 14/07/2010।

––0––

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के परिपालन में प्रशासनिक व्यय मे टेण्डर/कान्ट्रेक्ट की पारदर्शिता के संबंध में सेन्ट्रल विजिलेंस कमीशन के पत्र में दिये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें ।

1 लाख या उससे ऊपर की संविदा एवं अनुबंध की प्रतियां महालेखाकार को नियमित एवं निश्चित रूप से भेजी जाया करें। यदि विभागों द्वारा 1 लाख या अधिक संविदा का अनुबंध नही किया जाता है तो भी उसकी ''निरंक'' जानकारी नियमित एवं निश्चित रूप से महालेखाकार को भेजी जावेंगी।

उपरोक्त जानकारियां विभाग की बेबसाइट पर भी नियमित रूप से डालना सुनिश्चित करें।

संलग्न : यथोपरि।

31/8/10

(शिव शेखर शुक्ला)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
मुख्यालय भोपाल

पृ. क्रमांक/9005/NR-4/25/03/10 भोपाल, दिनांक 01/~~08~~09/10

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव विकास आयुक्त विन्ध्याचल भवन की ओर सूचनार्थ ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

31/8/10

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
मुख्यालय भोपाल

No.005/VGL/4
Government of India
Central Vigilance Commission
*****

Satarkta Bhawan, Block 'A',
GPO Complex, INA,
New Delhi- 110 023
Dated the 14th July, 2009

CIRCULAR No. 17/7/09

Subject: Posting of details on award of tenders/contracts on websites.

The Commission vide circulars dated 16.03.2005, 28.07.2005 and 18.04.2007 had directed all organisations to post on their web-sites a summary, every month, containing details of all the contracts/purchases made above a threshold value (to be fixed by the organisations) covering atleast 60% of the value of the transactions every month to start with on a continuous basis. CVOs were required to monitor the progress and ensure that the requisite details were posted regularly on respective websites, and also to incorporate compliance status in their monthly report to the Commission.

2. On a review of the status of implementation by the organisations, it is observed that some organisations have not adhered to the instructions and implemented the same. Further, such information being posted on the websites are not being regularly updated on a continuous basis by certain organisations and, in some cases, the information published is disjointed and not as per the prescribed format laid down by the Commission. It is also seen that a few organisations have placed such information on restricted access through passwords to registered vendors/suppliers etc. which defeats the basic purpose of increasing transparency in administration.

3. The Commission, therefore, while reiterating its aforementioned instructions would direct all organisations/departments to strictly adhere and post summary of details of contracts/purchases awarded so as to cover 75% of the value of the transactions without any further delay. Any failure on the part of the organisations on this account would be viewed seriously by the Commission.

4. All Chief Vigilance Officers should reflect the compliance status in their monthly reports to the Commission after personally verifying the same.

(Shalini Darbari)
Director

To

All Secretaries of Ministries/Departments
All CEOs /Heads of Organisations
All Chief Vigilance Officers

लिखित में संसूचित करेगा तथा उससे विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर नई वित्तीय बोली प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा। यदि निविदा अनुमोदित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम निविदाकार द्वारा प्रस्थापित दरों को अब भी प्रचलित दरों से पर्याप्त अधिक पाता है तो नये सिरे से निविदा आमंत्रित करने की प्रक्रिया पुनः आरंभ की जाएगी।]

(7) निविदा को स्वीकृत करते समय अन्य बातों के अलावा निविदाकर्ता की वित्तीय स्थिति (व्यक्ति या फर्म जो भी हो) को भी ध्यान में रखना चाहिए।

(8) जिन मामलों में लिखित करार आदि नहीं किया गया है उन मामलों में पूर्ति आदेश जब तक कि कम-से-कम मूल्य के बारे में लिखित में न ले लिया गया हो, नहीं दिया जाना चाहिए।

[1][(8-क) निविदा आमंत्रित किये जाने के पश्चात, संविदा जब एक बार किसी प्राधिकारी द्वारा, जो राज्य सरकार के आदेशों के द्वारा या अधीन ऐसा करने के लिए सशक्त हो, अनुमोदित हो जाती है, तो उसी प्रयोजन के लिये एक नई संविदा केवल नई निविदा आमंत्रित करने के पश्चात् की जा सकेगी।]

(9) संविदा में ठेकेदार को दी जाने वाली शासकीय सम्पत्ति की सुरक्षा का प्रावधान अवश्य करना चाहिए।

(10) 5 वर्ष से अधिक समय तक चलने वाली संविदा में यह उपबंध बिना शर्त अवश्य किया जाना चाहिए कि तत्सम्बन्ध में 6 मास को नोटिस देकर कभी भी संविदा को भंग अथवा निरस्त किया जा सकता है।

(11) ठेकेदार के नजदीकी रिश्तेदार की प्रतिभूति सामान्यतः स्वीकार नहीं की जाना चाहिए। ऐसी प्रतिभूति तभी स्वीकार की जा सकती है जब स्वीकृतकर्ता अधिकारी इस बात से संतुष्ट हों कि ठेकेदार के नजदीकी रिश्तेदार की सम्पत्ति अपनी है तथा अलग है, इस आशय का एक शपथ पत्र भी लेना चाहिए।

(12) नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक अथवा उसके निर्देश पर कार्य करने वाले अन्य अधिकारियों को संविदाओं की जांच करने का अधिकार है। उन्हें यह भी अधिकार है कि वह ऐसे प्रकरण जहाँ स्पर्धी निविदाएँ नहीं बुलाई गई हैं अथवा जहाँ ऊँची निविदाएँ स्वीकृत की गई हैं अथवा अन्य प्रक्रिया संबंधी अनियमितताएँ की गई हैं, उच्च अधिकारी के ध्यान में लायें।

राज्य शासन अनुदेश

(1)

संविदा एंव अनुबंधों की सूची/प्रतियाँ भेजना

विषय पर महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, म. प्र. ग्वालियर से प्राप्त ज्ञापन क्रमांक कास/विविध/ग्रुप-III/डी.आई/257, दिनांक 9-1-89 की प्रतिलिपि संलग्न है। मध्यप्रदेश वित्त संहिता भाग 1 के नियम 21 (12) के अनुसार लेखा परीक्षा को यह अधिकार दिया गया है कि प्रत्येक विभाग एवं शासन द्वारा कराये गये कार्य के लिये संविदा एवं अनुबंधों की वह जांच करे। इस जांच को करने के लिये महालेखाकार ने चाहा है कि एक लाख या उससे अधिक के उपबंधों की प्रतियाँ उन्हें समय पर उपलब्ध करवाई जावें।

2. राज्य शासन चाहता है कि वित्त संहिता भाग 1 में इस बाबत किये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जावे। तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

संलग्न-एक।

[वित्त विभाग क्रमांक 553/976/नि.5/चार/89, दिनांक 6-10-1989]

महालेखाकार (लेखा परीक्षा) म. प्र. ज्ञापन क्रमांक कास/विविध/ ग्रुप-III/डी.आई./257, दिनांक 9-1-89 की प्रतिलिपि

म. प्र. वित्त संहिता भाग 1 के नियम 21 (12) के अनुसार लेखा परीक्षा को यह अधिकार दिया गया है कि प्रत्येक विभाग एवं शासन द्वारा कराये गये कार्य के लिये संविदा एवं अनुबंधों की वह जांच करे। इस जांच को पूरा करने के लिये आवश्यक है कि एक लाख या उससे अधिक के उपबंधों की प्रतियाँ शासन एवं विभाग तत्काल आडिट को भेजा करे। विभागाध्यक्षों को एक लाख से कम रकम के अनुबंधों की सूची महालेखाकार कार्यालय को 10 अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एवं जनवरी को भेजनी होती हैं। इन

1. म.प्र. शासन, वित्त विभाग क्रमांक एफ-2-2-2004-नियम-चार, दिनांक 14 फरवरी, 2005 द्वारा जोड़ा गया। म.प्र. राजपत्र भाग 4 (ग) दिनांक 18 फरवरी, 2005 पृ. 30 पर प्रकाशित तथा प्रकाशन की तिथि से लागू।

सूचियों के आधार पर चयनित संविदाओं की प्रतियाँ फिर जांच हेतु लेखा परीक्षा में बुलायी जाती हैं।

प्रायः यह देखा गया है कि बार-बार लिखने के पश्चात् भी संविदा एवं अनुबंध की प्रतियाँ/सूचियाँ लेखा परीक्षा को प्रदाय नहीं की गई हैं, जिससे उनकी जांच केन्द्रीय लेखा में होना शेष रह जाती है। इस स्थिति से अवगत कराते हुए निवेदन है कि संविदा एवं अनुबंध की प्रतियाँ/सूचियाँ शासन एवं प्रत्येक विभाग से अतिशीघ्र भिजवाने के निर्देश जारी किये जाएं एवं उन आदेशों की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रदाय करने की कृपा करें।

(2)

सन्दर्भः- इस विभाग का ज्ञाप क्र. 553/976/नि-5/चार/89, दिनांक 6-10-89।

इस विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा अनुरोध किया गया है कि रुपये एक लाख से ऊपर की संविदा एवं अनुबंधों की प्रतियाँ महालेखाकार को भेजी जावें।

2. महालेखाकार, म. प्र. ग्वालियर द्वारा सूचित किया गया है कि सन्दर्भित शासनादेश के बावजूद भी एक लाख से ऊपर के संविदा एवं अनुबंधों की प्रतियाँ अभी भी उन्हें नहीं भेजी जा रही हैं।

3. संविदा भुगतान देयकों की लेखा परीक्षा, तभी कारगर रूप से की जा सकती है, जब भुगतान के देयकों के अनुबंधों की प्रतियाँ महालेखाकार, म. प्र. ग्वालियर को नियमित तथा निश्चित रूप से भेजी जावें।

4. अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि रुपये एक लाख से ऊपर की संविदा एवं अनुबंधों की प्रतियाँ नियमित एवं अनिवार्य रूप से महालेखाकार (आडिट) प्रथम/द्वितीय को भेजी जायें। यदि वर्ष के दौरान ऐसे अनुबंध नहीं किये गये हों तो भी "निरंक" जानकारी भेजी जाये।

[वित्त विभाग क्रमांक 94/108/नि-5/चार/91, दिनांक 4-3-1991]

(3)

सन्दर्भः- इस विभाग के ज्ञाप क्र. 553/976/नि-5/चार/89, दिनांक 6-10-89 एवं 94/108/नि-5/चार/91, दिनांक 4-3-91।

उपरोक्त विषय में इस विभाग द्वारा प्रसारित संदर्भित ज्ञापों में समस्त विभागों से यह निवेदन किया गया था कि एक लाख रुपये या उससे ऊपर की संविदा एवं अनुबंध की प्रतियाँ महालेखाकार को नियमित एवं निश्चित रूप से भेजी जाया करें, परंतु विभागों द्वारा शासन से प्रसारित निर्देशों का पालन नहीं किये जाने के कारण महालेखाकार ने अपने अ.शा. पत्र दिनांक 26-9-91 से शासन के ध्यान में पुनः यह बात लाई है कि विभागों द्वारा 1 लाख रुपये या उससे अधिक के क्रय संबंधी स्वीकृति की प्रतियाँ नियमित एवं निश्चित रूप से महालेखाकार को नहीं भेजी जा रही हैं। यदि विभागों द्वारा 1 लाख या अधिक की संविदा का अनुबंध नहीं किया जाता है तो भी उसकी "निरंक" जानकारी नियमित एवं निश्चित रूप से महालेखाकार को भेजना होती है।

2. संविदा भुगतान देयकों का लेखा परीक्षण तभी कारगर रूप से किया जा सकता है जब भुगतान के देयकों के अनुबंधों की प्रतियां महालेखाकार को नियमित तथा निश्चित रूप से भेजी जायें। राज्य शासन चाहता है कि म. प्र. वित्त संहिता भाग- 1 में इस बाबत किये गये प्रावधानों का भी विभागों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाय।

3. अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि एक लाख रुपये या उससे अधिक की संविदा एवं अनुबंधों की प्रतियाँ नियमित एवं अनिवार्य रूप से महालेखाकार को भेजी जायें। यदि वर्ष के दौरान ऐसे अनुबंध नहीं किये गये हों तो भी "निरंक" जानकारी ही महालेखाकार को भेजी जाय।

[वित्त विभाग क्रमांक 513/1428/नि-5/चार/91, दिनांक 30-11-91]